

## प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन से उपयोग के लिए जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा


इंगरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य ) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनो का संचालन, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि- श्री गणेश घोगरा (नाम) मुकाम मझौला पोस्ट सतीरामपुर (पता) जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खड़े किए गए हैं !

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान-इंगरपुर

दिनांक-03.12.2023



(नीरज मिश्र)

रिटनिंग अधिकारी

विधानसभा 158 इंगरपुर (अ.ज.जा.)

# FORM 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested )

## Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act,1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the Dungarpur Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Elections rules,1961,


I declare that-

Shri **GANESH GHOGRA** (Name) **MUKAM MAJHOLA, POST SATIRAMPUR** (Address)

sponsored by **Indian National Congress** (name of the recognised/ registered political party) has been duly elected to fill the seat in that house from the above constituency.

Place. **Dungarpur**

Dated-03.12.2023

  
(NEERAJ MISHRA)  
Returning Officer  
Assembly 158 Dungarpur(ST)